

15/4/25

पत्रावली आज पेश हुई। गार्डी व उनके वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार आवेजें लगाई गईं। बावजूद गार्डी व उनके वकील जैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली जैर हाजिरी एवं फाइल में खारिज की जाती है। पत्रावली फलतः शुमार होकर डाबिले इफ्तार हो (व्यं नम्बर ले कम हो)।



उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) चौहटन

